दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225)

Room No.: 104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

फा.सं. : आरबीसी/334/आ.एवं सू.(24)/2019/3899-4213

दिनांक: 14/06/2019
20

पृष्ठांकन Endorsement

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक(राजभाषा) का 27 मई, 2019 का फा.सं. 13035-2/2019-रा.भा.ए. आपको सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। जो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम की मुख्य मदों पर कार्रवाई से संबंधित है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

आनंद कु. सोनी
20-06-2019

(आनंद कुमार सोनी)
सहायक कुलसचिव (रा.भा.)

प्रति:

सभी विभाग/कार्यालय/अनुभाग प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय

फा.सं.13035-2/2019-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग
*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 27 मई, 2019

परिपत्र

विषय : केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम की मुख्य मदों पर कार्रवाई।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों आदि के सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु वर्ष 2019-20 के लिए जारी कार्यक्रम में कार्य की विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक कार्यक्रम की प्रति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को मंत्रालय के दिनांक 03 अप्रैल, 2019 के समसंख्यक पत्र द्वारा तथा मंत्रालय के सभी ब्यूरो को दिनांक 05 अप्रैल, 2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा भेजी जा चुकी है। इन लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए:-

1. मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाए।
2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिन्दी में दिया जाए।
3. राजभाषा के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. कम्प्यूटर, ई-मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिन्दी में काम को बढ़ाया जाए।
5. संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिन्दी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय किया जाए।
6. हिन्दी शिक्षण योजना कैलेंडर वर्ष 2025 में समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए हिन्दी भाषा हिन्दी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता लाई जाए और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि तत्संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जा सके।
7. मंत्रालय/विभाग/कार्यालयों द्वारा अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिन्दी माध्यम में आयोजित किया जाए।
8. प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जाएं।
9. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की बैठकों का नियमित आधार पर आयोजन किया जाए तथा समिति की बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
10. तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु राजभाषा विभाग ने वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम विकसित करवाया है। तदनुसार सभी कार्यालयों/उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे आगे से सभी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपरोक्त ऑन लाइन सिस्टम के माध्यम से ही भेजी जाए। यह सिस्टम विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।
11. संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किन्तु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। जानबूझकर राजभाषा राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना न की जाए।

2/-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी अधिकारी/कर्मचारी तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करें। वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्य गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

संजय
(संजय कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (भाषाएं)

वितरण:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी अनुभाग।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय प्रमुख –अनुपालन करें।
3. सीएमआईएस यूनिट – मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुखों को अपने सभी अधीनस्थों को इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश देने के अनुरोध के साथ प्रेषित।